

प्रेस नोट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 24.01.2025

गोतस्करी करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा गोतस्करी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा के नेतृत्व में 30नि0 अरुण कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1212/024 धारा 3/5ए/8 गोबध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से संबंधित वांछित अभियुक्त साबिर अली अंसारी को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

11.12.2024 को थाना स्थानीय पर सूचना प्राप्त हुयी कि कुछ लोग पिकअप गाडी से गोवंश को लादकर अकटहवा से मलंग स्थान होते हुए महाराजगंज ले जा रहे है। उक्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा मय पुलिस बल द्वारा मलंग स्थान तिराहे पर पहुँचकर घेराबन्दी कर दो अदद वाहन पिकअप नं0 UP58AT4869 व वाहन संख्या BR29GB0294 (कुल 09 अदद गौवंशीय पशु गाय व सांड़) को बरामद किया गया। अभियुक्त वाहन चालक व उसके साथी मौके का लाभ उठाकर भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साबिर अली अंसारी पुत्र असलम अंसारी नि0 हरदोवारा थानी बडहरिया जनपद सिवान बिहार

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 1212/024 धारा 3/5ए/8 गोबध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. 30नि0 अरुण कुमार सिंह थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. का0 प्रेम दुर्गा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर